राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क)(1)/(जी–303) अलेसे–I/177 **दिनांकः–** 18/06/2019

कार्यालय आदेश

श्री घनेश्वर दत्त शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I (लिंक नं. 1828) का विभागीय आदेश क्रमांक 764 दिनांक 01.11.2018 के द्वारा स्थानान्तरण पर देय कार्यग्रहण काल से अधिक उपभोग की गई अवधि के लिए राजस्थान सिविल सेवा (कार्यग्रण काल) नियम, 1981 के नियम 9 के अन्तर्गत विशिष्ठ प्रकरण मानते हुए स्थानान्तरण पश्चात् सेवा अनुपस्थिति अवधि दिनांक 10.07.2017 से 23.08.2017 (कुल 45 दिवस) तक का रूपांतरित अवकाश एवं दिनांक 24.08.2017 से 01.11.2017 (कुल 69 दिवस) तक का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, जिसके क्रम में उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि के वेतन का भुगतान निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर से आहरित करने की स्वीकृति समसंख्यक आदेश क्रमांक 1134 दिनांक 25.03.2019 द्वारा प्रदान की गई थी। श्री शर्मा द्वारा उपरोक्त अवकाश अवधि के साथ–साथ दिनांक 08.07.2017 एवं 09.07.2017 (2 दिवस) के राजपत्रित अवकाश का भी उपभोग किया गया था लेकिन इस पूर्ववर्ती अवधि के वेतन का भुगतान इन्हें नहीं किया गया है।

अतः पूर्ववर्ती अवकाश अवधि दिनांक 08.07.2017 एवं 09.07.2017 (2 दिवस) को अवकाशों के साथ उपभोग करने की अनुमति प्रदान करते हुए इस अवधि के वेतन का भुगतान निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर से आहरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (क)(1)/(जी–303) अलेसे–I/177 **दिनांकः–** 18/06/2019
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कार्यालय हाजा।
3. श्री घनेश्वर दत्त शर्मा, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–I, कार्यालय– राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर।
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी) कार्यालय हाजा को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. रक्षित निजी पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक– I)

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in, E-Mail Id – aao1.dta@rajasthan.gov.in Fax-2740735, Tel.- 2744134